इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पाइपलाइन्स प्रभाग, ई. आर. पी. एल. निर्माण कार्यालय, पटना,
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना -801503
Indian Oil Corporation Limited
Pipelines Division ERPL Construction Office Patna
Hira Niketan, Kaliket Nagar, Bailey Road Patna-801503
Phone: Off. 06115234324 / 128

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

इंडियनऑयल
IndianOil

(58)

पाइपलाइन्स प्रभाग
Pipelines Division

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
आवक संख्या 164
दिनांक 09/02/2021
(वन्य एवं वन संरक्षण प्रभाग)

9.2.2021

Ref: letter no. व॰स॰ /62/2002- 58 दिनांक **19.01.2021**

Date: 04.02.2021

To,
Nodal Office,
APCCF, Patna, Bihar

Sub: Request for NOC for laying of Steel network as a part of City Gas Distribution Project along the Notified forest roads.

Your Letter Reference No: व॰स॰ /62/2002- 58 दिनांक 19.01.2021

Dear Sir,

IndianOil has been awarded City Gas Distribution (CGD) project for the geographical area in Bihar which consists of Sheikpura, Deoghar districts by PNGRB Board. Under this project, major works envisaged are design of CGD network, pipeline laying, network for PNG and CNG connections etc., which has to be achieved as per PNGRB guidelines.

In reference to demand note letter व॰स॰ /62/2002- 58 दिनांक **19.01.2021** has deposited the net project value (NPV) and compensatory afforestation (CA) of total amount Rs. 5,11,676 /-.E- challan of the same is enclosed for your reference.

Since this is a time bound project of National importance, contributing to national prosperity, we solicit your most expeditious action to grant the NOC for laying the pipeline along the Notified forest lands.

Thanking You,

Yours Sincerely,

4/2/2021
(S. K. Nandy)
ED (Construction)
ERPL, Patna

Encl:

1) Questionnaire
2) E Challan no.: SBIN321035112283
3) Undertaking

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
कार्यकारी निदेशक (निर्माण)/Executive Director (Const.)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
प्रोजेक्ट निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना-801503
Hira Niketan Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna-801503.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

पाइपलाइन्स प्रभाग
Pipelines Division

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पाइपलाइन्स प्रभाग, ई. आर. पी. एल. निर्माण कार्यालय, पटना,
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना -801503
Indian Oil Corporation Limited
Pipelines Division ERPL Construction Office Patna
Hira Niketan, Kaliket Nagar, Bailey Road Patna-801503
Phone: Off. 06115234324 / 128

इंडियनऑयल
IndianOil

Ref. No.: **letter no.** व॰स॰ /62/2002- 58 दिनांक **19.01.2021** Date: 04.02.2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In reference to your letter no. **letter no.** व॰स॰ /62/2002- 58 दिनांक **19.01.2021**, issued by Additional Principal Chief Conservator of Forest (CAMPA) Patna, it is to certify that Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Patna agrees to pay additional amount of NPV, if so demanded on account of increasing NPV rate.

For and on behalf of IOCL

4/2/2021
(S.K.Nandy)
ED, (Construction)
ERPL, Patna

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
कार्यकारी निदेशक (निर्माण)/Executive Director (Const.)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
प्रोजेक्ट निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना-801503
Hira Niketan Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna-801503

(56)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 28-01-2021

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	7244859062
MoEF/SG File No.	VAN BHUMI 138/2020
Location.	BIHAR
Address.	ERPL Pipelines Construction OfficePatna
Amount(in Rs)	511676/-

Amount in Words Five Lakh Eleven Thousand Six Hundred and Seventy-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150627244859062 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address.	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Pri

SBIN 321025112283

भारतीय स्टेट बैंक/STATE BANK OF INDIA (Br. Code 1135)

- 4 FEB 2021

04 FEB 2021

forestsclearance.nic.in/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=PIPELINE4

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) – सह – नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना से निर्गत पत्रांक –

letter no. व॰स॰ /62/2002- 58 दिनांक 19.01.2021 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रम सं॰	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) के पत्र में उल्लेखित शर्त	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की टिप्पणी
1.	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैज्ञानिक स्वरूप यथावत रहेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
2.	अपयोजित होने वाली 1.6347453 हे॰ वन भूमि का NPV प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या **letter no. व॰स॰ /62/2002 दिनांक 19.01.2021** द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। इसके तहत 6.26 लाख रु॰ प्रति हे॰ की दर पर कुल रु॰ 10,23,351 /- की 50% राशि रु॰ 5,11,676/- (रूपये पाँच लाख ग्यारह हज़ार छः सौ छिहतर मात्र) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।	जैसा कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र सं०– **letter no. व॰स॰ /62/2002 दिनांक 19.01.2021** के अनुपालन मे 5,11,676/- रुपये NPV के मद में बिहार कैम्पा अकाउंट में जमा कर दिया गया है।
3	NPV मद की कुल राशि (रु॰ 5,11,676/- (रू पाँच लाख ग्यारह हज़ार छः सौ छिहतर) मात्र को मंत्रालय के वेब-साइट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराया जायेगा।	क्रमांक – 02 के अनुसार NPV के मद के लिये कुल मांग रुपय **5,11,676 /-** को UTR No.- SBIN321035112283 दिनांक- 04.02.2021 से बिहार कैम्पा अकाउंट में जमा कर दिया गया है। प्रति संलग्न है। (**अनुलग्नक-क**)
4	उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाएगी।	जमा कि गयी राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के e-portal पर प्रदर्शित हैं। साथ ही UTR की मूल प्रति इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पत्र सं०-3.1b दिनांक- 06.07.2020 से विभाग को उपलब्ध करा दी गयी हैं।
5	प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्दता देनी होगी की NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।	सहमति पत्र संलग्न है। (**अनुलग्नक-ख**)
6.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रस्ताव के क्रम सं०-2 से यह स्पष्ट है कि इस भूमि पर कोई भी वृक्ष का पातन नहीं होगा।
7.	वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामाग्री निकालने के लिए नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामाग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
8	भूमि की सतह से पाईपलाइन 1.5 मीटर नीचे बिछाई जायेगी। पाईपलाइन बिछाने के बाद भूमि को समतल किया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
9.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना लागत पर यथासंभव तकनीकी रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद से परामर्श प्राप्त कर उनके निर्देशन में परियोजना स्थल के आस-पास यथा संभव उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराएगी।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
10.	वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामाग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये वन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।

4/2/2021

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
कार्यकारी निदेशक (निर्माण)/Executive Director (Const.)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
प्रोजेक्ट निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना-801503
Hira Niketan Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna-801503

11.	वन क्षेत्र के भीतर मज़दूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
12.	वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मज़दूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की वन एवं वन्यप्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्यकारी एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
13.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
14.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किए जायेंगे।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
15.	यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्तें आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
16.	उपभोक्ता अभिकरण [मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०, पटना] अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन / हस्तान्तरण / अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।

4/2/2021

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
कार्यकारी निदेशक (निर्माण)/Executive Director (Const.)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
प्रोजेक्ट निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना-801503
Hira Niketan Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna-801503

(53)

समाहरणालय, जमुई
(कल्याण शाखा)

बिहार सरकार

पत्रांक : .... / क0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

सेवा में,

मुख्य वन सरंक्षण–सह–
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार पटना।

जमुई, दिनांक–

विषय :– **जमुई जिलान्तर्गत NH एवं SH पथों के किनारे इंडियन ऑयल कॉपरोरेशन लि0 द्वारा सिटि गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप पाईन बिछाने हेतु FRA 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई का पत्रांक 1045, दिनांक 15.06.2020 एवं Senior Engineer (Project-CGD) CGD, Deoghar, IOCl, Ref-ERPL/CGD/JAMUI/Forest-Patna/NOC/01, Date 17.06.2020.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है, कि जमुई जिलान्तर्गत NH एवं SH पथों के किनारे इंडियन ऑयल कॉपरोरेशन लि0 द्वारा सिटि गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप पाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तगर्त 0.5337893 हे0 वन वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव FRA 2006 प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही हैं।

अनु0:– **FRA 2006 प्रमाण पत्र की मूल प्रति।**

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी
जमुई

ज्ञापांकः– 1335 / क0, दिनांकः 02/12/2020

प्रतिलिपि :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को FRA 2006 प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **Senior Engineer (Project-CGD) CGD, Deoghar, IOCl** (इंडियन ऑयल कॉपरेशन लि0, पाइपलाइन्स प्रभाग, ई0आर0पी0एल0 निर्माण कार्यालय, पटना, हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना–801503) को FRA 2006 प्रमाण पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
जमुई

52

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, जमुई के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र।

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2017 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 1335 दिनांक 02/12/2020

प्रमाणित किया जाता है कि **जमुई** जिले के प्रयोक्ता एजेंसी **Indian Oil Corporation Limited** द्वारा जमुई जिला में सिटि गैस वितरण (CGD) परियोजना हेतु **जमुई एवं सिकन्दरा प्रखंड में पथ के किनारे** गैस वितरण के लिए स्टील पाइपलाईन नेटवर्क बिछाने हेतु कुल किलोमीटर **22.72773 कि0मी0** में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के **0.5337893** हे0 रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के **पत्रांक 1045, दिनांक** 15.06.2020 द्वारा FRA 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जॉचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका–1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षो से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गॉवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नही हैं।

स्थान–जमुई
तिथि– 02/12/2020

जिला पदाधिकारी
जमुई

(5)

फैक्स नं0–06341–223001 / 225202
E-mail : officerinchargegs@gmail.com

समाहरणालय, शेखपुरा
(सामान्य शाखा)

पत्रांक 05 / सा0

प्रेषक,

वरीय उपसमाहर्त्ता,
जिला सामान्य शाखा,
शेखपुरा।

12.1.2021

सेवा में,

वरिष्ठ परियोजना अभियंता,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड,
शहरी गैस वितरण प्रोजेक्ट, देवघर,
S 48, प्रथम तल, एस0एस0एम0 जालान रोड,
देवघर (झारखंड)।

शेखपुरा, दिनांक 05/01/2021/

विषय :– शेखपुरा जिलान्तर्गत NH पथों के किनारे IOCL द्वारा शहरी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG एवं PNG पाइप लाइन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम – 1980 के तहत 1.100956 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में FRA 2006 का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका Ref. - ERPL/CGD/JAMUI/Forest - Patna/NOC/01, दिनांक – 17.06.2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र सं0 – 712 / सा0, दिनांक – 28.12.2020 मूल में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जाती है।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

5/1/2021

वरीय उपसमाहर्त्ता,
जिला सामान्य शाखा,
शेखपुरा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
प्राप्ति संख्या 37
दिनांक 12/01/2021
(कैम्प एवं वन संरक्षण संभाग)

Gen~Sec/D/2020/Dec/28.12.2020

कार्यालय जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक – 28.10.2014 को निर्गत दिशा–निदेश के तहत)

संख्या – 712, दिनांक – 28/12/2020

प्रमाणित किया जाता है कि शेखपुरा जिले में प्रयोक्ता एजेंसी मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा शेखपुरा जिलान्तर्गत बिहार शरीफ – बरबीघा एन0एच0 – 82 एवं बरबीघा – खैरा पथ – 333 ए0 में अलीनगर से तरहारी तक गैस वितरण परियोजनान्तर्गत स्टील पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल – 35.95 कि0मी0 में पड़ने वाले पथ / नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 1.100956 हे0 रकवा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक – 1045, दिनांक – 15.06.2020 द्वारा FRA 2006 का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका – 1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक – 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षो से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान :– शेखपुरा

तिथि :–

28.12.20

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा

Gen~Sec/D/2020/Dec/11.12.2020